भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 28
उत्तर देने की तारीख 03.02.2025

गुरु-शिष्य परंपरा योजना

28. श्री चंदन चौहान :
श्री सतपाल ब्रह्मचारी :
श्री सनातन पांडेय :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने थिएटर समूहों, संगीत मंडलियों और बाल रंग मंच जैसी प्रदर्शन कला गतिविधियों के लिए गुरु-शिष्य परम्परा को वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान) देने की कोई व्यापक कार्ययोजना तैयार की है;

(ख) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग): उक्त योजना के अंतर्गत गुरुओं और शिष्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(घ): क्या उक्त योजना ने पारंपरिक कला शैलियों और प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में उभरते कलाकारों को प्रोत्साहित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड़): उक्त योजना के अंतर्गत अब तक राज्यवार, विशेषकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कितने गुरुओं और शिष्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): संस्कृति मंत्रालय द्वारा 'गुरु-शिष्य परंपरा को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम संचालित की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत पूरे भारत से संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक कला आदि जैसे मंच कला संबंधी कार्यकलापों में कार्यरत और गुरु-शिष्य परंपरा की तर्ज पर नियमित आधार पर

कलाकारों/शिष्यों को उनके संबंधित गुरु द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर रहे पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ग): गुरु-शिष्य परंपरा (रेपर्टरी अनुदान) के स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुदान की मांग करने वाले संगठनों को अनुदान जारी रखने और नए सिरे से चयन किए जाने के लिए प्रत्येक वर्ष अपने आवेदन/प्रस्ताव प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। संगठनों से प्राप्त सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों/प्रस्तावों की समीक्षा मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाती है। यह विशेषज्ञ समिति स्कीम दिशानिर्देशों के प्रावधानों, संगठनों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों/कार्यकलापों/संसाधनों, वित्तीय सहायता हेतु औचित्य, संगठन के गुरु/प्रतिनिधि के साथ साक्षात्कार आदि पर विचार करते हुए मामला-दर-मामला आधार पर अपनी अनुशंसाएं देती है।

(घ): गुरु-शिष्य परम्परा (रेपर्टरी अनुदान) 3 वर्ष या उससे अधिक आयु के शिष्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके नृत्य, संगीत और रंगमंच के क्षेत्र में कलाकारों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष, नवीनीकरण श्रेणी के साथ-साथ, पारंपरिक कला शैलियों सहित मंच कला के क्षेत्र में उभरते कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए 'नूतन श्रेणी' के तहत नए संगठनों से भी आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

(ड़): विगत तीन वर्षों के दौरान गुरु-शिष्य परम्परा (रेपर्टरी अनुदान) स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य सहित वित्तीय सहायता प्रदान किए गए गुरुओं और शिष्यों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है।

अनुलग्नक-I

'गुरु-शिष्य परंपरा योजना' के संबंध में दिनांक 03 फरवरी, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

गुरु-शिष्य परंपरा के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)

स्कीम: गुरु-शिष्य परम्परा के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान) संस्कृति मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। यह स्कीम एक व्यापक स्कीम 'कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) की उप-स्कीम है।

उद्देश्य: इस स्कीम का उद्देश्य मंच कला कार्यकलापों जैसे नाट्य/रंगमंच समूहों, संगीत समूहों, बाल रंगमंच, नृत्य समूहों आदि के क्षेत्र में कार्यरत सांस्कृतिक संगठनों को प्राचीन गुरु-शिष्य परम्परा के अनुरूप नियमित आधार पर अपने संबंधित गुरुओं द्वारा शिष्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

स्कीम के अनुसार, रंगमंच के क्षेत्र में 01 गुरु और अधिकतम 18 शिष्यों को और संगीत और नृत्य के क्षेत्र में 01 गुरु और अधिकतम 10 शिष्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वित्तीय सहायता की राशि: प्रत्येक **गुरु/शिक्षक को प्रति माह 15,000/- रुपये (पंद्रह हजार रुपये केवल)** की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जबकि प्रत्येक शिष्य/कलाकार के संबंध में निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	शिष्य/कलाकर की श्रेणी	आयु वर्ग	प्रतिमाह सहायता/मानदेय की राशि
1	(क) वयस्क शिष्य/कलाकार	(18 वर्ष और उससे अधिक आयु)	10,000/- रूपये (दस हजार रुपये मात्र)
2	(ख) श्रेणी 'क' बाल शिष्य/कलाकार	(12 से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु)	7,500/- रूपये (साढ़े सात हजार रुपये मात्र)
3	(ग) श्रेणी 'ख' बाल शिष्य/कलाकार	(6 से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु)	3,500/- रूपये (तीन हजार पांच सौ रुपये मात्र)
4	(घ) श्रेणी 'ग' बाल शिष्य/कलाकार	(3 से अधिक और 6 वर्ष से कम आयु)	2,000/- रूपये (दो हजार रुपये मात्र)

अनुलग्नक-II

'गुरु-शिष्य परंपरा स्कीम' के संबंध में दिनांक 03 फरवरी, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के भाग (ड़) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष					
		2021-2022		2022-2023		2023-2024	
		गुरुओं की सं.	शिष्यों की सं.	गुरुओं की सं.	शिष्यों की सं.	गुरुओं की सं.	शिष्यों की सं.
1.	आंध्र प्रदेश	13	30	19	38	20	51
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	1	2
3.	असम	35	256	37	256	44	272
4.	बिहार	76	488	94	516	116	582
5.	चंडीगढ़	5	62	7	65	11	74
6.	छत्तीसगढ़	3	19	3	19	4	16
7.	दिल्ली	95	830	105	791	125	798
8.	गुजरात	8	52	12	42	13	46
9.	हरियाणा	15	90	18	93	20	97
10.	हिमाचल प्रदेश	4	52	4	52	6	57
11.	जम्मू और कश्मीर	25	134	29	143	44	177
12.	झारखंड	10	69	15	78	14	80
13.	कर्नाटक	133	801	152	822	214	954
14.	केरल	22	187	23	189	27	176
15.	मध्य प्रदेश	61	590	96	658	110	662
16.	महाराष्ट्र	49	414	82	465	96	509
17.	मणिपुर	149	980	172	1017	202	1009
18.	मिजोरम	1	8	2	10	2	5
19.	नागालैंड	4	12	3	10	6	17
20.	ओडिशा	66	353	103	415	119	477
21.	पुदुचेरी	3	43	4	45	3	21
22.	पंजाब	8	59	8	60	9	64
23.	राजस्थान	15	103	22	115	26	117
24.	सिक्किम	1	2	1	2	1	3
25.	तमिलनाडु	16	91	12	82	13	84
26.	तेलंगाना	18	147	16	120	20	123
27.	त्रिपुरा	3	26	6	31	9	36
28.	उत्तराखंड	13	80	17	87	18	91
29.	उत्तर प्रदेश	66	419	82	436	95	448
30.	पश्चिम बंगाल	231	1781	348	1991	331	1730

*****